

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2001

का. आ. 541(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना सं०सां० आ० 791 (आ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ऋतम्बर एजुकेशन एण्ड विकास ट्रस्ट सादतपुर, पो०आ० सपवाड़ा, तालुका इंदर, जिला साबरकांठ, गुजरात द्वारा सादतपुर, इंदर, साबरकांठ, गुजरात में स्कूल भवन के निर्माण को पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए कम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं०सां० आ० 747(आ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है :

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋतम्बर एजुकेशन एण्ड विकास ट्रस्ट सादतपुर, पो०आ० सपवाड़ा, तालुका इंदर, जिला साबरकांठ, गुजरात द्वारा चलाई जा रही सादतपुर, इंदर, साबरकांठ, गुजरात में स्कूल भवन के निर्माण की स्कीम अथवा परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र सत्रह लाख तिरैसठ हजार रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 155/2001/फा. सं. एन. सी.-61/2001]

पोमिला बी. प्रसाद, निदेशक (रा. स.)